बिहार सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता

हेतु

प्रस्तावित प्रारूप

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना

<u>पेयजल एवं स्वच्छता हेतु प्रस्तावित प्रारूप</u>

<u>बिहार राज्य हेतु पेयजल एवं स्वच्छता के समेकित प्रारूप की आवश्यकता</u>

स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता मानव का **मूलभूत अधिकार** है एवं मानवीय गरिमा का प्रतीक है। भारतीय संविधान में भी यह वर्णित है कि सरकारें मानवीय गरिमा को संवर्धित एवं अक्षुण्य बनाये रखने के लिए समुचित एवं समेकित प्रयास करेगी। भारतीय संविधान के अनुसूची सात में पेयजल और स्वच्छता विषयों को राज्य का विषय माना गया है। संघीय व्यवस्था के मद्देनजर यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि यह पेयजल और स्वच्छता विषय पर नीति निर्मित कर पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करे।

बिहार बदल रहा है। आने वाले समय में पूरे देश के विकास में बिहार की अहम भूमिका होने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता **"सभी के लिए–सदा के लिए"** यह निर्धारित करेंगे कि बिहारवासी कितनी भूमिका राज्य एवं राष्ट्र निर्माण में अदा कर पायेगी। स्वच्छ बिहार, संतृप्त बिहार और स्वस्थ बिहार आनेवाले कल की आवश्यकता है, ताकि हम राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भागीदारी कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। पेयजल एवं स्वच्छता मानव का मूलभूत अधिकार ही नहीं, बल्कि मानवीय विकास का पहला सोपान भी है। यह आवश्यक है कि कल की तैयारी में इस अहम विषय पर नीति बने।

बिहार सरकार ने पिछले चार वर्षों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला किये हैं जिससे बिहार की जनता को विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जा सका है एवं निर्णयों में भागीदारी बनाया जा सका है। बिहार सुशासन की राह पर दृढ़ता से बढ़ रहा है एवं पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में भी "सुशासन" को प्रतिबद्ध है। "सभी के लिए–सदा के लिए" पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था बिहार सरकार की प्राथमिकता है। इसे मूर्त्त रूप देने हेतु एवं संघीय व्यवस्था में राज्य में लोगों को स्थायी पेयजल व स्वच्छता लाभ प्रदान करने हेतु एक समेकित पेयजल एवं स्वच्छता नीति का निर्धारण कर रही है।

राज्य में लोगों का पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा पोषित कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें, इसके क्रियान्वयन में समानता हो सके तथा समाज के सभी वर्गों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता के लिए एक लोकान्मुखी नीति निर्धारित की जाए।

पूरी दुनिया में ऐसा अभिमत है कि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का समेकित क्रियान्वयन किया जाय तभी लोगों को स्थायी लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतएव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पेयजल एवं स्वच्छता हेतु एक समेकित नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को एकीकृत करते हुए नीति, पूरे देश में अपने प्रकार की पहली नीति होगी।

भारत सरकार ने विगत महीने ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों हेतु नीति एवं प्रारूप में परिवर्त्तन किया है। राज्यों से ऐसी अपेक्षा है कि वो केन्द्र सरकार की इस

नई सोंच के आलोक में संघ स्तर पर भी मार्गदर्शिका और नीति निर्धारित करें। भविष्य में संघ और केन्द्र की नीति में समन्वय और समानता वित्तीय पोषण का आधार बनेंगे। यह अवसर है कि बिहार अपने संदर्भ में राष्ट्रीय नीति का संज्ञान लेते हुए अपने लोगों को स्थायी पेयजल व्यवस्था प्रदान करने हेतु अपनी नीति निर्मित करें।

बिहार में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधायें का स्थायित्व, समुदाय की भागीदारी, सशक्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली कार्यक्रर्मों में आवंटित धनों के समुचित एवं समयबद्ध तरीके से उपयोग चिन्ता के विषय हैं। इन कारणों से अभी, सभी को शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदाने करने में समस्यायें आ रही हैं। जल की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही चिन्ता का विषय बने हुए हैं। भू–गर्भ जल के दोहन से पेयजल स्रोत का स्थायित्व एवं गुणवत्ता प्रभावित हुआ है। फ्लोराइड और आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक कन्टामिटेन्ट के कारण बिहार का एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित है। स्वच्छता सुविधायें का अभाव अभी भी चिन्ता का विषय है। प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी खुले में शौच करती है, जिसके कारण गंदगी फैलती है एवं पेयजल के स्रोत प्रभावित होते। परिणाम स्वरूप डायरिया, कॉलरा जैसी बिमारियों से लोग प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु नई पेयजल एवं स्वच्छता नीति का निर्धारण अति आवश्यक है।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रारूप का लक्ष्य

बिहार के हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का जल पीने एवं अन्य घरेलू आवश्यकता हेतु स्थायी तौर पर उपलब्ध कराना।

बिहार के हर घर में एवं सभी विद्यालयों में मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु शौचालय की व्यवस्था।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रारूप के उद्देश्य

1. बिहार राज्य हेतु पेयजल एवं स्वच्छता की समेकित नीति का निर्माण।
2. लोगों को स्थायी पेयजल एवं स्वच्छता लाभ प्रदान करने हेतु एक लोकोन्मुखी निर्देशिका एवं लोकोन्मुखी नीतिगत प्रारूप प्रदान करना।
3. बिहार के सभी टोलों में "समानता एवं समरसता" के सिद्धान्तों पर उचित मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना।
4. प्रासंगिक संस्थागत व्यवस्था प्रस्तुत करना, जिससे पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं के कार्यक्रम प्रभावी एवं सस्टेनेबल हो सके और पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके।
5. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए "फाइनेन्शियल फ्रेम–वर्क" निर्मित करना जिससे पेयजल एवं स्वच्छता सेवाएँ कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रदान किया जा सके।
6. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित रणनीति का निर्धारण।

7. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में समुदाय, गरीब, वंचित, महिलाएँ एवं बच्चे एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रारूप के सिद्धांत

1. पेयजल एवं स्वच्छता मानव का मूलभूत अधिकार है और प्रदेश का हर नागरिक इसे प्राप्त करने का हक रखता है। राज्य इस अधिकार को प्रदत्त करने हेतु अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी।
2. राज्य के जल संसाधन पर पहला क्लेम पेयजल का होगा और उपलब्ध जल संसाधन इस तरह इस्तेमाल किये जायेंगे कि पेयजल एवं स्वच्छता हेतु सदा सर्वदा पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का जल सभी को उपलब्ध हो।
3. राज्य उत्प्रेरक एवं कोफाइनेन्सर की भूमिका में कार्य करेगा। समुदाय की भागीदारी, प्लानींग, क्रियान्वयन एवं रख–रखाव में की जायेगी।
4. सभी पेयजल एवं स्वच्छता परिसम्पत्तियों की मालकियत पंचायतों की होगी।
   - पंचायतों को फण्ड्स, फंक्शनरीज उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके।
5. महिलाओं की भागीदारी कार्यक्रमों में विशेष रूप से सुनिश्चित किये जायेंगे।
   - कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले तकनीकि विकल्प, प्रारूप रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएँ निर्णय में भागीदार बनें।
6. पेयजल एवं स्वच्छता परियोजनाऐं माँग आधारित एवं समुदाय आधारित होगी।
   - प्लानींग से रख–रखाव तक हर चक्र में समुदाय की विशेष भागीदारी एवं निर्णयों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
7. फाइनेन्शियल सस्टेनबलिटी हेतु पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में समुदाय की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति/जनजातियों को कार्यक्रम के वित्तीय निर्णय लेने में भागीदारी प्रदान की जायेगी।
8. एक उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. एवं अन्य एकेडमिक एवं टेक्निकल संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
9. स्थायी पेयजल सिक्योरिटी हेतु पंचायत स्तर पर वाटर सिक्योरिटी प्लान का निर्माण एवं उसके आधार पर योजनाओं का वित्तीय पोषण किया जायेगा। रख–रखाव हेतु कौशल निर्माण के विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
10. जल की गुणवत्ता हेतु पंचायत स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता अनुश्रवण समिति को निर्माण एवं टेस्टिंग की व्यवस्था। फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन के प्रबंधन हेतु विशेष टास्क फोर्स एवं वित्त की व्यवस्था। फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन युक्त सभी टोलों को अगले पांच वर्ष में पाईप पेयजल योजनाओं के

माध्यम से स्थायी समाधान। प्रदेश के सभी टोलों में अगले पांच वर्षों में पाईप पेयजल द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

11. सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं का निर्माण जिससे भू–जल के दोहन एवं उसके दुष्प्रभावों को रोका जा सके। भू–जल के अत्यधिक दोहन को रोकने हेतु प्रभावी भू–जल रिचार्ज एवं प्रबंधन इकाई का गठन।

12. पेयजल एवं स्वच्छता लक्ष्यों के समयबद्ध उपलब्धता हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण समिति। मिडिया, एन.जी.ओ., सबजेक्ट मैटर स्पेश्लिस्ट का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सहयोग।

13. "रेस्ड्यूज–रिसाइकिल एण्ड रियूज" के सिद्धांत को बढावा। प्रदेश में पेयजल की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु जल के निपटान की उचित व्यवस्था एवं रिसाइकिल एण्ड रियूज ऑफ वेस्ट वाटर पर बल।

14. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में समाज के वंचित, विकलांग, विधवा, नेत्रहीन आदि हेतु विशेष तकनीकों के माध्यम से सुविधा की व्यवस्था। ऐसे वर्ग के तमाम लोगों को उनके घरों के निकट टैंप/स्टैण्ड से निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था।

15. प्रदेश के नौजवान एवं युवकों की कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संचालन एवं प्रबंधन में विशेष भागीदारी। पंचायत स्तर पर युवक एवं युवतियों को उत्प्रेरक एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी। युवक समूहों को प्रोड्क्शन सेन्टर एवं सेनेट्री मार्ट को चलाने की सुविधा एवं प्रशिक्षण।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा अदायगी का स्तर न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक पर। पेयजल के सारे कार्यक्रमों का नियोजन बसावटों के डिजाइन जनसंख्या के आधार पर।

17. राज्य सरकार द्वारा आरोग्य संवर्धन "हाइजिन प्रमोशन" को विशेष महत्त्व। हाइजिन प्रमोशन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में व्यवहार निर्माण एवं व्यवहार परिवर्त्तन को अंगीकृत करना एवं स्कूल एवं घर के स्तर पर गतिविधियाँ। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए "सूचना, शिक्षा एवं संवाद" के लिए रणनीति एवं कार्य योजना। आई.ई.सी. के विभिन्न मीडिया व्हेकिल के माध्यम से राज्य के हर बसावट के हर घर के साथ संवाद स्थापित किया जाना।

18. स्कूलों में पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा विद्यालय में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर। पेयजल हेतु फोर्स लिफ्ट पम्प, मेरी–गो–राउण्ड पम्प आदि आधुनिक व्यवस्था का उपयोग। विद्यालय में शौचालय का निर्माण, बच्चों की आवश्यकता एवं व्यवहार के आधार पर।

19. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र से संबंधित सभी आंकड़े राज्य पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन द्वारा संकलित कर विभाग के बेवसाइट पर सरलता से प्रस्तुत करना। इन आंकड़ों का राज्य में कार्यरत पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी एजेन्सियों द्वारा उपयोग।

20. स्वच्छता को अपनी व्यापकता में क्रियान्वित किया जाना। मानव मल का सुरक्षित निपटना, कूड़ा–कचरा प्रबंधन, सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि कार्यक्रम स्वच्छता कार्यक्रम के आयाम होंगे।

21. स्कूल स्वच्छता के कार्यक्रमों में नामांकित लड़कियों हेतु "मैन्स्ट्रूयल हाइजिन मैनेजमेन्ट" की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना, ताकि हमारी बेटियाँ निर्भय एवं निःसंकोच तरीके से अध्ययन कर सके।

22. पेयजल के प्रदूषण को रोकने हेतु वैधानिक व्यवस्था, प्रदूषण कर्त्ता की जिम्मेदारी तय कर समुचित वित्तीय अधिभार की व्यवस्था किया जाना। नदी के जल स्तर एवं गुणवत्ता का समय–समय पर अनुश्रवण एवं गुणवत्ता बनाये हेतु निर्देश एवं कार्यक्रम।

23. पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी विभाग जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, महादलित आयोग, महिला एवं बाल कल्याण आयोग नियोजन आदि से समन्वय स्थापित किया जाना। अन्तर्विभागीय समन्वय नयी पेयजल एवं स्वच्छता नीति की विशेष लाक्षिणकता होगी।

24. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र को कारगर एवं लोकोन्मुखी बनाने हेतु "लोक सूचना एवं लोक सुविधा किऑस्क (ज्ञपवे)" का हर प्रखण्ड पर स्थापना। इस किऑस्क के माध्यम से लोग पेयजल से संबंधित अपनी शिकायत दाखिल कर सकेंगे एवं इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई की स्थिति देख पायेंगे। स्वच्छता सुविधाओं हेतु लोग इन किऑस्क के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे एवं उसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति जान सकेंगे। इन किऑस्कों पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना।

25. बिहार के बाढ़ एवं सूखाड़ क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक विकल्प प्रदान करना। बाढ़ क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना ताकि वह बाढ़ के समय में भी सुरक्षित रहे और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा सकें। सुखाड़ के क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान ताकि पेयजल के स्रोतों की स्थायित्व सुरक्षित रहे। बाढ़ के क्षेत्र स्वच्छता परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु फ्लडप्रुफ तकनीकि विकल्प जैसे–इकोसैन आदि का उपयोग। सुखाड़ क्षेत्रों में कम जल का उपयोग लेने वाले शौचालय मॉडलों का निर्माण।

26. पेयजल एवं स्वच्छता नीति के प्रावधान शहरी क्षेत्रों में भी होंगे इस हेतु शहरी विकास मंत्रालय से पी.एच.ई.डी. को ही पेयजल एवं स्वच्छता हेतु मुख्य कार्यदायी संस्था नामित करने की अनुशंसा।

27. राज्य में स्थापित "प्रांजल" संस्थान में सब्जेक्ट मैटर विशेषज्ञों के पदों का संविदा के आधार पर सृजन। प्रांजल को सेक्टर में कार्य कर रहे सभी संस्थाओं के क्षमता विकास की जिम्मेदारी।

28. पेयजल की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक समाधान हेतु फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं लौह वाले क्षेत्रों की मैपिंग एवं समाधान हेतु कार्य योजना।

29. हर ग्राम के पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन निर्मित पेयजल स्कीमों के स्थायित्व हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा।

30. घरेलू एवं औद्योगिक सिवेज एवं सलेज का नदियों में निस्तारण पर रोक। गंगा एक्शन प्लान के प्रावधानों के तहत गंगा नदी की सफाई को विशेष महत्त्व।

31. पेयजल एवं स्वच्छता नीति के अंतिम स्वरूप हेतु विभिन्न विधा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का संचालन एवं एक प्रारूप समिति का गठन।

32. पेयजल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु रोड मैप का निर्धारण। इसके तहत राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं भू–जल परिक्षेत्र में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह एवं नाईट्रेट की अधिकतम मात्रा पाये जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण।

- ✷ राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता नीति को 22 मार्च 2010 “विश्व जल दिवस” तक अंतिम स्वरूप प्रदान करने का संकल्प।
- ✷ सदन के सम्मानित सदस्यों का जनहित में उनके सुविचारित सुझावों का फरवरी 2010 तक प्रेषित करने का आग्रह।

<u>!!सधन्यवाद!!</u>

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित राज्य सरकार की प्रस्तावित प्रारूप का आलेख

पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित राज्य सरकार की प्रस्तावित प्रारूप का आलेख

पेयजल एवं स्वच्छता की आवश्यकता

स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता मानव की मूलभूत आवश्यकता है एवं मानवीय गरिमा के प्रतीक है। भारतीय संविधान में भी यह वर्णित है कि सरकारें मानवीय गरिमा को संवर्धित एवं अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए समुचित एवं समेकित प्रयास करेगी। भारतीय संविधान के अनुसूची सात में पेयजल और स्वच्छता विषयों को राज्य का विषय माना गया है। संघीय व्यवस्था में यह राज्यों की जिम्मेवारी है कि वह पेयजल और स्वच्छता विषय पर नीति निर्मित कर पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करें।

बिहार बदल रहा है। आनेवाले समय में पूरे देश के विकास में बिहार की अहम भूमिका होने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता **"सभी के लिए सदा के लिए"** यह निर्धारित करेगा कि बिहारवासी कितनी भूमिका राज्य एवं राष्ट्र निर्माण में अदा कर पायेगी। स्वच्छ बिहार, संतृप्त बिहार और स्वस्थ बिहार आनेवाले कल की आवश्यकता है, ताकि हम राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भागीदारी कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। यह आवश्यक है कि कल की तैयारी में इस अहम विषय पर नीति बने।

बिहार सरकार के पिछले चार वर्षों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिये हैं जिससे बिहार की जनता को विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जा सका है एवं निर्णयों में भागीदार बनाया जा सका है। बिहार सुशासन की राह पर दृढ़ता से बढ़ रहा है एवं पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में भी "सुशासन" को प्रतिबद्ध है। पेयजल एवं स्वच्छता मानव का मूलभूत अधिकार ही नहीं, बल्कि मानवीय विकास का पहला सोपान भी है। "सबके लिए – सदा के लिए" पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था बिहार सरकार की प्राथमिकता है। इसे मूर्त रूप देने हेतु एवं संघीय व्यवस्था में राज्य में लोगों को स्थायी पेयजल व स्वच्छता लाभ प्रदान करने हेतु एक समेकित पेयजल एवं स्वच्छता नीति का निर्धारण कर रही है।

राज्य में लोगों को पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा पोषित कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें, इसके क्रियान्वयन में समानता हो सके तथा समाज के सभी वर्गों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता के लिए एक लोकान्मुखी नीति निर्धारित की जाए।

पूरी दुनिया में ऐसा अभिमत है कि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का समेकित क्रियान्वयन किया जाय तभी लोगों को स्थायी लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतएव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पेयजल एवं स्वच्छता हेतु एक समेकित नीति बनाने का

निर्णय लिया है। इस प्रकार पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को एकीकृत करते हुए नीति, पूरे देश में अपने प्रकार की पहली नीति होगी।

भारत सरकार ने विगत महीने, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों हेतु नीति एवं प्रारूप में परिवर्तन किया है। राज्यों से ऐसी अपेक्षा है कि वो केन्द्र सरकार की इस नई सोच के आलोक में संघ स्तर पर भी मार्गदर्शिका और नीति निर्धारित करें। भविष्य में संघ और केन्द्र की नीति में समन्वय और समानता वितिय पोषण का आधार बनेंगे। यह अवसर है कि बिहार अपने संदर्भ में राष्ट्रीय नीति का संज्ञान लेते हुए अपने लोगों को स्थायी पेयजल व्यवस्था प्रदान करने हेतु अपनी नीति निर्मित करें।

बिहार में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का स्थायित्व, समुदाय की भागीदारी, सशक्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली कार्यक्रमों में आवंटित धनों के समुचित एवं समयबद्ध तरीके से उपयोग चिन्ता के विषय हैं। इन कारणों से अभी भी सभी को शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने में समस्यायें आ रही हैं। जल की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही चिन्ता का विषय बने हुए हैं। भूगर्भ जल के दोहन से पेयजल स्रोत का स्थायित्व एवं गुणवत्ता प्रभावित हुआ है। फ्लोराइड और आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक कन्टामिनेन्ट के कारण बिहार का एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित है। स्वच्छता सुविधाओं का अभाव अभी भी चिन्ता का विषय है। प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी खुले में शौच करती है, जिसके कारण आज भी पेयजल के स्रोत प्रभावित होते हैं एवं डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु नई पेयजल एवं स्वच्छता नीति का निर्धारण अति आवश्यक है।

पेयजल एवं स्वच्छता हेतु लक्ष्य

बिहार के हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का जल पीने एवं अन्य घरेलू आवश्यकता हेतु स्थायी तौर पर उपलब्ध कराना।

बिहार के हर घर में एवं सभी विद्यालयों में मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु शौचालय की व्यवस्था।

पेयजल एवं स्वच्छता हेतु उद्देश्य

1. लोगों को स्थायी पेयजल एवं स्वच्छता लाभ प्रदान करने हेतु एक लोकोन्मुखी निर्देशिका एवं ैनचचवतजपदह च्वसपबल ंदक स्महंस थ्तंउम ॅवता प्रदान करना।
2. बिहार के सभी टोलों में “समानता एवं समरसता” के सिद्धान्तों पर उचित मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना।
3. प्रासंगिक संस्थागत व्यवस्था प्रस्तुत करना, जिससे पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं के कार्यक्रम प्रभावी एवं सस्टेनेबुल हो सके और पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके।
4. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए “फाइनेनशियल फ्रेम वर्क” निर्मित करना जिससे पेयजल एवं स्वच्छता सेवाएँ कॉस्ट इफक्टिव तरीके से प्रदान किया जा सके।

5. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित रणनीति का निर्धारण।
6. पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में समुदाय, गरीब, वंचित, महिलाएँ एवं बच्चें एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण।

पेयजल एवं स्वच्छता हेतु सिद्धांत

1. पेयजल एवं स्वच्छता **मूलभूत आवश्यकता** हैं और प्रदेश का हर नागरिक इसे प्राप्त करने का हक रखता है। राज्य इस अधिकार को प्रदत्त करने हेतु अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी।
2. राज्य के जल संसाधन पर पहला क्लेम पेयजल का होगा और उपलब्ध जल संसाधन इस तरह इस्तेमाल किये जायेंगे कि पेयजल एवं स्वच्छता हेतु सदा सर्वदा पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का जल सभी को उपलब्ध हो।
3. राज्य उत्प्रेरक एवं कोफाइनेन्सर की भूमिका में कार्य करेगा। समुदाय की भागीदारी, नियोजन, क्रियान्वयन एवं रख–रखाव में की जायेगी।
4. सभी पेयजल एवं स्वच्छता परिसम्पत्तियों की मालकियत पंचायतों की होगी। पंचायतों को फंड्स, फंक्शन्स् एवं फंक्शनरीज उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके।
5. कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले तकनीकी विकल्प, प्रारूप, रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएँ निर्णय में भागीदार बनें।
6. पेयजल एवं स्वच्छता परियोजनाएँ माँग आधारित एवं समुदाय आधारित होगी। नियोजन से रख–रखाव तक हर चक्र में किये जायेंगे।
7. थ्पदंदबपंस ैनेजंपदंइपसपजल हेतु पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में समुदाय की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। यूजर कमिटी चार्जेज, क्रॉस सब्सिडी एवं अन्य रचनात्मक माध्यमों से अनुसूचित जाति/जनजातियों को कार्यक्रम के वित्तीय निर्णय लेने में भागीदारी प्रदान की जायेगी।

8. एक उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में प्राईवेट सेक्टर, एन0जी0ओ0, सी0बी0ओ0 एवं अन्य एकेडमिक एवं टेक्निकल संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

9. स्थायी पेयजल सिक्योरिटी हेतु पंचायत स्तर पर वॉटर सिक्योरिटी प्लान का निर्माण एवं उसके आधार पर योजनाओं का वित्तीय पोषण किया जायेगा। रख–रखाव हेतु कौशल निर्माण के विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

10. जल की गुणवत्ता हेतु पंचायत स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता अनुश्रवण समिति का निर्णय एवं टेस्टिंग की व्यवस्था।

11. फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन के प्रबन्धन हेतु विशेष टास्क फोर्स एवं वित्त की व्यवस्था। फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरनयुक्त सभी टोलों को अगले पाँच वर्ष में पाईप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्थायी समाधान।

12. प्रदेश के सभी टोलों में अगले पाँच वर्षों में पाईप पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

13. सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं का निर्माण जिससे भूजल के दोहन एवं उसके दुष्प्रभावों को रोका जा सके।

14. पेयजल एवं स्वच्छता लक्ष्यों के समयबद्ध उपलब्धता हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण समिति। मीडिया, एन0जी0ओ0, सब्जेक्ट मैटर स्पेश्लिस्ट का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सहयोग।

15. रिड्यूज – रिसाइकिल–एण्ड–रियूज के सिद्धांत को बढ़ावा। प्रदेश में पेयजल की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु जल के निपटान की उचित व्यवस्था एवं रिसाइकिल एण्ड रियूज ऑफ वेस्ट वॉटर पर बल।

विभिन्न स्तरों पर व्यापक चर्चा के पश्चात् इसमें आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित बिन्दु

(गुणवत्ता से संबंधित)

- राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त जल पीने एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु स्थायी तौर पर जल उपलब्ध कराना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष टास्क फोर्स एवं वित्त की व्यवस्था।
- गुणवत्ता ग्रामों में स्थायी शुद्ध पेयजल हेतु स्रोतों की पहचान एवं स्थायी जल–वितरण प्रणाली।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में भू–गर्भीय जल के विभिन्न ुनपमित को चिन्हित करना।
- कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार के पौधों एवं पशुओं पर गुणवत्ता प्रभावित जल के प्रभाव का अध्ययन एवं इसके लिये समुचित नीति–निर्धारण।
- शहरी क्षेत्रों में सतही जल का अधिकत्तम उपयोग करने हेतु नीति–निर्धारण।
- सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले नहर एवं अन्य बहुद्देशीय परियोजनाओं में पेयजल के लिये समुचित प्रावधान।
- जिन क्षेत्रों में भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम है या नहीं है, वहाँ वर्षा जल को संग्रहीत कर जलाशयों का निर्माण।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आम–जनता को आर्सेनिक/फ्लोराइड/आयरन एवं नाइट्रेट आदि से प्रभावित जल को पीने से होने वाले दुष्परिणाम को अवगत कराना।
- पंचायत स्तर पर लाभान्वितों को योजना एवं स्रोतों के रख–रखाव करने के लिये समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जल–जाँच की व्यवस्था करना।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों का महत्ता देना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, समुदाय की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थायी पेयजल की सुव्यवस्था हेतु पंचायत स्तर पर ॅंजमत ैमबनतपजल चसंद बनाना।
- प्रदेश में पेयजल की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु ब्यवहृत जल के निपटान की उचित व्यवस्था।
- भू–गर्भीय जल के उपयोग हेतु नीति.निर्धारण।
- भू–गर्भीय जल के विभिन्न ुनपमित की पहचान।

- पेयजल एवं सिंचाई हेतु अलग–अलग ुनपमित का निर्धारण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भू–गर्भीय जल को प्राथमिकता।
- सिंचाई के लिये भू–गर्भीय जल का न्यूनतम उपयोग।
- उच्च प्रवाही नलकूप लगाने के लिये अलग से नियम का निर्धारण एवं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था।
- भू–गर्भ जल के दोहन को कम करने के लिए अपशिष्ट जल (ूजम ूंजमत) को साफ कर फिर से उपयोग (त्मबलबसम – त्मनेम) करने के सिद्धान्त को बल देना चाहिए। इस जल का उपयोग घरेलू काम, शौचालय एवं खेतों में उपयोग कर सकते हैं।
- इस तरह की नीति तैयार हो जो कि भूगर्भ जल को जीवाणु प्रदूषण से रोके।
- ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो कि पेयजल स्रोत को जीवाणु प्रदूषण होने से रोके।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण पर जोर दिया जाए एवं कम गांवों को लेकर योजना बनाई जाय ताकि ये सुचारू रूप से चल सके एवं इनका रख–रखाव भी सुनिश्चित हो।

पेयजल स्वच्छता के कार्यान्वयन बिन्दु

मानव जीवन में पेयजल एवं स्वच्छता का महत्त्व आदि काल से ही रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता सर्व विदित है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे पूर्वजों द्वारा जितने भी बड़े शहर बसाये गये हैं वे किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित हैं। गीता में श्री भगवान कृष्ण ने अपने को जल के रूप में प्रदर्शित करते हुए इसकी महत्ता को बताया है। सभ्यता के शुरूआत में जल की व्यवस्था आम लोगों के द्वारा अपने स्तर से कुंआ, तालाब एवं अन्य परम्परागत स्रोतों का निर्माण कर किया जाता था। सभ्यता के विकास के साथ–साथ जल की गुणवत्ता एवं सतत् उपलब्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इसमें विशेष पहल प्रारम्भ किया गया। राज्य की हर क्षेत्र के लिए पीने योग्य जल पर्याप्त मात्रा में समुचित जगह पर और समाज के सभी वर्गों खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लिए सहजता से उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन में स्थानीय लोगों, पंचायतों एवं समाजिक कार्यकर्त्ताओं की सहभागिता को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

सरकार के प्रयास से बहुत हद तक राज्य के सभी टोलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य किये गये हैं एवं इसमें सफलता भी मिली है। फिर भी हर आदमी को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल सही जगह पर उपलब्ध कराने में अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है।

पेयजल का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इसलिए पेयजल की व्यवस्था को सरकारी नीति के तहत प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसे बाजार शैली के रूप में अन्य लोगों पर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। पेयजल की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता जल स्रोत से लेकर उपभोगता के उपयोग तक सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सिर्फ एक जलस्रोत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इसके लिए कुशल जल प्रबंधन की आवश्यकता है जिसके तहत जल की मात्रा एवं जल की गुणवत्ता विभिन्न कार्यों के लिए अलग से परिभाषित करने की जरूरत है। जल की उपलब्धता हेतु भू–गर्भीय जलस्रोत, सतही जलस्रोत एवं वर्षा जल का संग्रहण एवं उपयोग की आवश्यकता है। वहीं खाना बनाने एवं पीने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध जल का उपयोग करने पर बल दिये जाने की जरूरत है जबकि अन्य कार्यों यथा कपड़ा धोने, नहाने, शौचालय का उपयोग एवं गार्डेनिंग के लिए कम गुणवत्ता वाले जल का भी उपयोग किया जा सकता है।

सभी जगहों के लिए सस्टेनेबल पेयजल की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/प्रखण्ड स्तरीय पेयजलापूर्ति पाईप लाईन का ग्रिड के रूप में बनाये जाने की आवश्यकता है।

पेयजल हेतु पेयजल की मात्रा हेतु मापदण्ड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल की मात्रा भी 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखी गयी है। हांलाकि यह मात्रा बहुत ही कम है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाना है कि स्थानीय लोगों के जल मांग के अनुरूप उन्हें पेयजलापूर्ति उपलब्ध करायी जाए। राज्य सरकार सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 तक 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

ग्राम स्तर तक पेयजल सुविधा को सुनिश्चित करने हेतु पंचायत राज संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थानों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं स्थानीय लोगों की भूमिका भी अहम् है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर टोलें के सार्वजनिक स्थल यथा स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, सार्वजनिक भवन, पंचायत कार्यालय, बाजार, मेला, पूजा स्थल एवं अन्य स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि घरेलू पेयजल स्रोतों पर पेयजल का बोझ कम हो सके।

पेयजल के प्रबंधन में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों यथा महादलित/दलित/छोटे किसान, अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किया जाय।

पेयजल की गुणवत्ता एवं उसके उपयोग हेतु सघन प्रचार–प्रसार एवं आई0ई0सी0 सामग्री का निर्माण तथा पंचायत स्तर तक के लोगों को प्रशिक्षित कर सक्षमता सर्म्वद्धन की आवश्कता है।

योजनाओं के मॉनिटरींग हेतु भी एक सक्षम प्रणाली विकसित किये जाने की आवश्यकता है ताकि हर आदमी को योजना के संबंध में किसी भी समय पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही चालू योजनाओं को बंद होने की स्थिति में उसे शीघ्र चालू करने हेतु एक समय सीमा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सूचना प्रावैद्योगिकी को अपनाया जा सकता है।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र में नित्य नये प्रणाली विकसित हो रहें हैं। इन नई प्रणाली को लागू करने हेतु शोध एवं विकास कार्य हेतु एक सेल का गठन किये जाने की आवश्यकता है। विभाग में इस कार्य हेतु प्रांजल नाम से एक प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र का स्थापना की जा रही है।

पेयजल की उपलब्धता हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन एवं चयन में स्थानीय माननीय संसद एवं माननीय विधायक की अनुशंसा एवं परामर्श प्राप्त किया जाना

आवश्यक है। योजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था भी किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सोसल ऑडिट के साथ–साथ पेयजल का उपयोग एवं लोगों की पहूँच का आकलन भी जरूरी है। इसके साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं का भी आकलन की आवश्यकता है।

- पेयजल की मात्रा, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता
- सेवा प्रदान करने वाले का रिस्पॉन्स
- उपभोगता की संतुष्टि
- स्थानीय निकाय/पंचायत राज संस्थान की सहभागिता
- पेयजल हेतु जलकर का संग्रहण
- भू–गर्भीय जल का उपयोग हेतु अधिनियम, सतही जल के उपयोग हेतु पेयजल की प्राथमिकता
- पेयजल सुरक्षा नीति को लागू करने वाले पंचायतों को पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।
- भू–जल रिचार्ज, रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं वर्षा जल संरक्षण

पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा को हर घर के लिए सुनिश्चित करने हेतु पंचायत स्तर पर एक व्यक्ति को नामित करना एवं उसे कुछ परिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है।